न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 681/2023
अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. डुंगरराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. गुड्डी पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. सीमा पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
4. रामेश्वरी पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. बलवन्ती पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
6. प्रेमसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
7. अनिल कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
8. सरोज पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
9. भगवन्ती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
10. सन्तोष पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
11. आशारानी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/1/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 25/19 की कुल 7.3361 भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 प्रत्येक के नाम 1/42 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 130/123 की कुल 7.9950 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 प्रत्येक के नाम 1/42 हिस्सा भूमि हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पिता उदमीराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। मनीराम पुत्र उदमीराम का देहान्त हो चुका है। मनीराम पुत्र उदमीराम के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नहीं चाहती है अपना हक हिस्सा है वह अपने भाईयों एवं भाईयों के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक 1/3 हिस्सा भूमि पर एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 प्रत्येक बहिब 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 को तर्क अंकित किया की प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 का जो भी हक हिस्सा है उन्हे दिया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 25/19 व 130/123, सनद दिनांक 06.11.2024 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोहर की चित्रप्रति आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के नाम दर्ज है प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों एवं भाईयों के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक 1/3 हिस्सा भूमि पर एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 प्रत्येक बहिब 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है तथा प्रतिवादी [illegible] 11 का जो भी हक हिस्सा है उन्हे दिया जा रहा है। अतः वादी का वाद डिक्री [illegible] जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के नाम दर्ज है प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों एवं भाईयों के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक 1/3 हिस्सा भूमि पर एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 प्रत्येक बहिब 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 25/19 की कुल 7.3361 भूमि तथा रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0327/295 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 130/123 की कुल 7.9950 हैक्ट भूमि उक्त खातों में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 को बहिब 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 681/2023
अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. डुंगरराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. गुड्डी पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. सीमा पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
4. रामेश्वरी पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. बलवन्ती पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
6. प्रेमसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
7. अनिल कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
8. सरोज पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
9. भगवन्ती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
10. सन्तोष पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
11. आशारानी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 681 सन 2023 निर्णय दिनांक 24/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 25/19 की कुल 7.3361 भूमि तथा रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0327/295 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 130/123 की कुल 7.9950 हैक्ट भूमि उक्त खातों में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 को बहिब 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:10:44 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर